



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8 बी/राज०/०६/३१/२०१५/एफ.सी. 1823

दिनांक: 15.02.2018

सेवा में,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, अरण्य भवन,
ज्ञालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No.- FP/RAJ/ROAD/6979/2014

विषय: Diversion of 13.558 ha. of forest land for upgradation Kota- Dharanawada Road Km. 132/500 to 137/500

सन्दर्भ: अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान का पत्रांक-
एफ14(0)/2015/एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/595, दिनांक- 23.01.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-09.07.2015 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अधूरी अनुपालना आख्या अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें।

1. Details of alternative examined have not been given.
2. Layout plan and cross section showing the forest area requirement and area calculation has not been provided.
3. Required no objection certificate is not provided.
4. Violation of FCA Act has been reported & FIR has been lodged against contractor/ driver by ROF. However, area of violation has not been specified.
5. Entire area falling under forest proposed for construction has been included in diversion proposal, whereas the road is claimed to be pre-existing. It needs clarification.
6. As per DSS Analysis 1 ha. only out of 13.56 ha. proposed for CA is not found suitable. This may be reexamined.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. विशेष सचिव (वन), राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, बारां, राजस्थान।
3. अधिशासी अभियन्ता, सा० नि० वि०, खण्ड- छबड़ा, राजस्थान।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक(के.)